

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहा./99/2017/455

दिनांक: 30

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बेण्ड	दिनांक
1	श्री मनीराम सैनी, नेत्र सहायक राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।	7.6.89	27 वर्ष	7.6.2016	9300-34800	

उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(सकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (आयुक्त)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहा./99/2017/455

दिनांक : 30-8-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को संबंधित अधिकारी को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(सकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (आयुक्त)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर